



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082020-221357
CG-DL-E-26082020-221357

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427]
No. 427]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2020/भाद्र 4, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2020/BHADRA 4, 1942

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2020

सा.का.नि. 533(अ).—केंद्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा तैयार किए गए, इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा-वर्णित, मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 को एतद्वारा अनुमोदित करती है।

2. यथा-अनुमोदित उक्त संशोधित विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन न्यास का न्यासी मंडल एतद्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2010 को आगे संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः –

1. (1) इन विनियमों को मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जाएंगे।

2. मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) विनियम, 2010 में -

(I) विनियम 4 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

4. **नियुक्ति का तरीका:-** (1) जिन पदों पर भी ये विनियम लागू होते हैं, वे सभी नियुक्तियां, इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्तियां, पदोन्नति अथवा आमेसन अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से की जाएंगी। पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरे करने वाले महापत्तनों, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों अथवा सरकारी कंपनियों के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परंतु यह कि किसी भी महापत्तन न्यास के बोर्ड का कोई भी कर्मचारी किसी महापत्तन न्यास में विभागाध्यक्ष स्तर के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(2) प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि तीन वर्ष की होगी, जो चार वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। आपवादिक परिस्थितियों में इसे, किसी ऐसे पद के मामले में, जहां पदधारी को विभागाध्यक्ष के रू में माना जाता हो, केंद्र सरकार द्वारा; और विभागाध्यक्ष के स्तर से निचले किसी अन्य पद के मामले में अध्यक्ष द्वारा, पांच वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

(II) अनुसूची-1 में,-

(i) सचिव के पद से संबंधित क्रम संख्या 6 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा;

(ii) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी से संबंधित क्रम सं.47 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(iii) मुख्य मैकेनिकल इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम सं.52 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(iv) यातायात प्रबंधक के पद से संबंधित क्रम सं.64 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(v) मुख्य अभियंता के पद से संबंधित क्रम सं.73 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(vi) मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद से संबंधित क्रम सं.82 के सामने कॉलम 12 में "प्रतिनियुक्ति के लिए" उप-शीर्षक के अंतर्गत "स्वायत्त निकायों" शब्दों के बाद "महापत्तन न्यास को छोड़कर" शब्दों को शामिल किया जाएगा।

(vii) उप संरक्षक के पद से संबंधित क्रम सं.96 के सामने कॉलम 12 में “प्रतिनियुक्ति के लिए” उप-शीर्षक के अंतर्गत “स्वायत्त निकायों” शब्दों के बाद “महापत्तन न्यास को छोड़कर” शब्दों को शामिल किया जाएगा।

[फा. सं. पीआर-12012/02/2019-पीई-I]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मुख्य विनियम भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 7 मई, 2010 को सा.का.नि. सं.387 (ई) द्वारा प्रकाशित किए गए तथा तदनंतर निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए-

- (i) सा.का.नि. 309 (अ), दिनांक 21 अप्रैल, 2014;
- (ii) सा.का.नि. 518 (अ), दिनांक 29 जून, 2015;
- (iii) सा.का.नि. 603 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2015;
- (iv) सा.का.नि. 149 (अ), दिनांक 08 फरवरी, 2016;
- (v) सा.का.नि. 156 (अ), दिनांक 10 फरवरी, 2016;
- (vi) सा.का.नि. 648 (अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016;
- (vii) सा.का.नि. 1240 (अ), दिनांक 11 अक्तूबर, 2017;
- (viii) सा.का.नि. 1434 (अ), दिनांक 20 नवंबर, 2017;
- (ix) सा.का.नि. 351 (अ), दिनांक 09 अप्रैल, 2018;
- (x) सा.का.नि. 776 (अ), दिनांक 14 अगस्त, 2018; और
- (xi) सा.का.नि. 818 (अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2019।

MINISTRY OF SHIPPING

(PHRD DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2020

G.S.R. 533(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2020, made by the Board of Trustees of the Mumbai Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations as approved shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Mumbai Port hereby makes the following regulations further to amend the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the Gazette of India.

2. In the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010,-

(I) for regulation 4, for the entries, the following regulation shall be substituted, namely:-

4. MANNER OF APPOINTMENT:- (1) All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation shall be of employees from the Major Ports, the Central Government, State Government, autonomous bodies or Government Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post:

Provided that, an employee of a Board of any Major Port Trust will not be eligible for deputation to the Head of Department level post in Major Port Trusts.

(2) The normal period of deputation is three years, which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years by the Central Government in the case of a post, the incumbent of which is regarded as the Head of Department; and by the Chairman in the case of any other post below the level of Head of Department.

(II) in the Schedule-I,-

(i) against serial number 6, relating to the post of Secretary, in column 12 under the sub-heading “For deputation”, after the words “Autonomous Bodies”, the words “other than Major Port Trust” shall be inserted;

(ii) against serial number 47, relating to the post of Financial Adviser & Chief Accounts Officer, in column 12, under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the words “other than Major Port Trust” shall be inserted.

(iii) against serial number 52, relating to the post of Chief Mechanical Engineer, in column 12, under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the word “other than Major Port Trust” shall be inserted.

(iv) against serial number 64, relating to the post of Traffic Manager, in column 12 under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the word “other than Major Port Trust” shall be inserted.

(v) against serial number 73, relating to the post of Chief Engineer, in column 12, under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the word “other than Major Port Trust” shall be inserted.

(vi) against serial number 82, relating to the post of Chief Medical Officer, in column 12, under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the word “other than Major Port Trust” shall be inserted.

(vii) against serial number 96, relating to the post of Deputy Conservator, in column 12, under the sub-heading “For deputation” after the word “Autonomous Bodies”, the word “other than Major Port Trust” shall be inserted.

[F. No. PR-12012/02/2019-PE-I]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

Footnote: The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, *vide* number G.S.R. 387(E), dated the 07th May, 2010 and was subsequently amended *vide* number-

- (i) G.S.R. 309(E), dated the 21st April, 2014;
- (ii) G.S.R. 518(E), dated the 29th July, 2015;
- (iii) G.S.R. 603(E), dated the 31st July, 2015;
- (iv) G.S.R. 149(E), dated the 08th February, 2016;
- (v) G.S.R. 156(E), dated the 10th February 2016;
- (vi) G.S.R. 648(E), dated the 01st July, 2016;
- (vii) G.S.R. 1240(E), dated the 11th, October, 2017;

-
- (vii) G.S.R. 1434(E), dated the 20th, November, 2017;
 - (ix) G.S.R. 351(E), dated the 09th April, 2018;
 - (x) G.S.R. 776(E), dated the 14th August, 2018 and
 - (xi) G.S.R. 818(E), dated the 31st October, 2019.